56

न्यायालय उपजिलाधिकारी नवाबगंज – जिला बरेली।

वाद सं0 17 /13 अं0 धारा 143 यू0 पी0 जैड0 ए0 एंड एल0 आर0 एक्ट0

आशीष कुमार **वनाम** **सरकार**

ग्राम–धौरेरा परगना व तहसील नवाबगंज, जिला बरेली

नकल **निर्णय** प्रतिलिपि

प्रस्तुत वाद, श्री आशीष कुमार पुत्र श्री हरी शंकर निवासी कस्वा नवाबगंज के प्रार्थना पत्र पर, अपनी भूमि स्थित ग्राम धौरेरा परगना व तहसील नवाबगंज व जिला बरेली के गाटा सख्या 395 रकवा 0.413 है0 को अकृषक घोषित किये जाने हेतु योजित किया। जिसकी जांच तहसीलदार नवाबगंज से करायी गयी तहसीलदार नवाबगंज ने नायव तहसीलदार से जांच करवाकर उनकी जांच आख्या दिनांक 18.05.13 इस न्यायालय में संस्तुति सहित प्रषित की है,। नायव तहसीलदार ने आपनी जांच आख्या में कहा है कि ग्राम धौरेरा परगना व तहसील नवाबगंज के गाटा सख्या 395 रकवा 0.413है0 में पहले कृषि होती थी 1416फ0 में गाटा सख्या 395 को अकृषक घोषित कराकर व भवन निर्माण कराकर प्लाई वुड फैक्ट्री लगायी गयी जो 1417फ0 तक चलती रही 1417फ0 के वाद फैक्ट्री बंद हो गयी तथा भवन तुडवाकर पुनः 1418फ0 से 1419फ0 तक कृषि करायी गयी तथा अकृषक से कृषक भूमि घोषित करवाकर ए0 वी0 एस0 शिक्षा समिति धौरेरा प्रबंधक आशीष कुमार सक्सेना को पंजीकृत वैनामा कर दिया गया । वर्तमान में गाटा सख्या 395 रकवा 0.413 है0 में स्कूल भवन के दो कमरे वन चुके हैं तथा निर्माण कार्य चल रहा है उपरोक्त भूमि को निर्माण कार्य जारी होने के कारण भूमि कृषि योग्य नही रह जाती है। अंत में नायव तहसीलदार ने उपरोक्त भूमि को अकृषक धोषित किये जाने को कहा है। इसी आख्यां को तहसीलदार ने संस्तुति सहित अग्रसारित किया है।

मैने पत्रावली का विधिवत अध्ययन किया जिससे विदित हुआ कि उपरोक्त भूमि पहले भी अकृषक घोषित की जा चुकी है वाद में जव उंसमें कृषि कार्य होने लगा तो कृषि भूमि घोषित करदी गयी अव वर्तमान में उक्त भूमि में दो कमरे वने हैं व निर्माण कार्य चल रहा है तथा बिद्यालय चलाये जाने की योजना है व वर्तमान में यह भूमि ए0 वी0 एस0 शिक्षा समिति के नाम में है। उपरोत विवेचना से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि गाटा सख्या 395 रकवा 0.413है0 में कृषि कार्य नही हो रहा है तथा विद्यालय चलाये जाने हेतु कमरो का निर्माण हो रहा है इसलिये उक्त भूमि को धारा 143 यू0 पी0 एंड एल0 आर0 एक्ट0 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार नवाबगंज की जाचं आख्या दिनांक 02.07.13 स्वीकार करते हुये ग्राम धौरेरा परगना व तहसील नवाबगंज के गाटा सख्या 395 रकवा 0.413है0 को धारा 143 यू0 पी0 जैड0 ए0 एंड एल0 आर0 एक्ट0 के अंतर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है। आदेश की एक प्रति उपनिबंधक नवाबगंज को आवश्यक कार्यवाही हेतु जारी की जाये। परवाना अमलदरामद जारी हो। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफतर हो।

(उमेश कुमार ...)
उपजिलाधिकारी, नवाबगंज

... 19/1/16
... 19/1/16
... 19/1/16
... 150
... 2

सत्य प्रतिलिपि
19/1/16
कार्यालय उप-जिलाधिकारी नवाबगंज

Scanned with CamScanner